

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 890 / 2024

दिनांक : 06.03.2024


श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते :-

1. दिनांक 02.02.2024 से 09.02.2024 तक 08 दिनों का परावर्तित अवकाश। ✓
2. दिनांक 10.02.2024 से 17.02.2024 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश। ✓

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06.03.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4)/48/1996/2000

दिनांक : 06.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को उनके पत्रांक 11 दिनांक 19.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, नागौर।


06/3/2024
सहायक रजिस्ट्रार